



शिकागो शहर के लाइसेंस अपील आयोग की हैंडबुक

**RICHARD J. DALEY CENTER
50 WEST WASHINGTON STREET
ROOM - CL 21
Chicago, Illinois 60602
(312) 744-4095
www.cityofchicago.org/lac**

लाइसेंस अपील आयोग शराब लाइसेंसधारक के खिलाफ व्यापार मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा लगाए गए निलंबन, निरसन और जुर्माने के लिए अपील का तत्काल मंच है। इसके अतिरिक्त, LAC (एलएसी) अस्वीकृत शराब लाइसेंस आवेदनों, मौजूदा शराब लाइसेंस के प्रबंधन/स्वामित्व में परिवर्तन से इनकार, और व्यापार मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी शराब लाइसेंस नवीनीकरण से इनकार करने के लिए अपील का फैसला करता है।

जुर्माने निलंबन या निरसन पर अपील दर्ज करना

1. व्यापार मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा शराब लाइसेंस को निलंबित करने या रद्द करने के निर्णय की अपील लाइसेंस अपील आयोग के साथ व्यापार मामलों के विभाग के जारी होने की तारीख के बीस (20)* दिनों के भीतर दर्ज की जानी चाहिए और उपभोक्ता संरक्षण आदेश शराब लाइसेंस पर जुर्माना लगाने, निलंबित करने या रद्द करने का आदेश दिया जाना चाहिए। अगर आप आदेश के (20)* दिन के अंदर अपील दर्ज करने विफल रहते हैं तो इसके परिणामस्वरूप निर्णय के खिलाफ अपील करने की आपकी क्षमता समाप्त हो जाएगी। (कृपया ध्यान दें: लाइसेंस अपील आयोग शिकागो शहर के कानून विभाग द्वारा जारी आधिकारिक छुट्टियों की अनुसूची का पालन करता है)।
2. व्यवसाय मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निष्कर्षों को अपील करने के लिए, लाइसेंसधारी को लाइसेंस अपील आयोग के साथ कुछ दस्तावेज दाखिल करने होंगे।
 - A) लाइसेंसधारी को अपील की सूचना की एक मूल और एक हार्ड कॉपी दायर करनी होगी अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की जाती है, या तीन हार्ड कॉपी यदि व्यक्तिगत रूप से दायर की जाती है (हमारी वेबसाइट पर दस्तावेजों के तहत अपील की सूचना देखें)।
 - B) व्यवसाय मामलों के विभाग और उपभोक्ता संरक्षण आदेश की एक प्रति जिसमें तथ्य के निष्कर्ष, जुर्माना, निलंबित या लाइसेंस रद्द करना शामिल है, अपील की मूल कॉपी के साथ और एक हार्ड कॉपी के साथ दायर की जानी चाहिए, यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की जाती है या या अपील की तीन हार्ड कॉपी में से प्रत्येक यदि व्यक्तिगत रूप से दायर कि जाती है।
 - C) इसके साथ ही, अपील करने के लिए लाइसेंसधारकों द्वारा वित्त विभाग को \$125.00 की दर्ज करने की (फाइलिंग) फीस का भुगतान करना होगा। POS चालान (इनवाँइस) फॉर्म अब हमारे विभाग की वेबसाइट www.cityofchicago.org/lac पर उपलब्ध है। फॉर्म डाउनलोड करें और शिकागो शहर (City of Chicago) के किसी भी भुगतान केंद्र में शुल्क का भुगतान करें। लाइसेंस अपील आयोग को रसीद दिखानी होगी कि आपके द्वारा भुगतान किया जा चुका है। बिना रसीद के अपील स्वीकार्य नहीं होगी। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक या हार्ड कॉपी की जरूरत होगी।
 - D) नोटरीकृत हलफनामे (एफिडेविट) जिसमें यह कहा गया है कि अदालत ने व्यापार मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में कार्यवाही से प्रतिलेखों का आदेश दिया जा चुका है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक या हार्ड कॉपी की जरूरत होगी।
3. लाइसेंसधारकों को कोई भी निर्णय विधि या कानून भी शामिल करना चाहिए जिस पर लाइसेंसधारी व्यवसाय मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्णय के विपरीत तर्क करने में विश्वास कर सकेगा।

4. एक बार लाइसेंस अपील आयोग में अपील दर्ज हो जाने पर, लाइसेंसधारी को यह बता कर एक नोटरीकृत हलफनामा दाखिल करना होगा कि अदालत की ओर से रिपोर्ट किए गए व्यापार मामलों और उपभोक्ता विभाग में कार्यवाही से प्रतिलेख संरक्षण का आदेश दे दिया गया है। हलफनामा (एफिडेविट) को (10)* के अंदर लाइसेंस अपील आयोग के पास दर्ज करना होगा। हलफनामा (एफिडेविट) को दाखिल करने में विफल रहने पर परिणामस्वरूप अपील खारिज कर दी जाएगी।
5. कोई शराब लाइसेंसधारी जो व्यवसाय मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग से एक निरसन आदेश की अपील करता है, उसे राज्य के कानून द्वारा अपील के लंबित रहने के दौरान अपने शराब लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करने और उसे चालू रखने की आवश्यकता होती है। लाइसेंस अपील आयोग द्वारा कोई भी शराब लाइसेंसधारक को निरस्तीकरण आदेश की अपील करता है, उसे यह प्रमाण दिखाना होगा कि आज तक के सभी लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क का भुगतान किया गया है। शराब लाइसेंसधारियों को सिटी हॉल के कमरा 107 में शिकागो शहर के वित्त विभाग में अपने नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा और एक रसीद प्राप्त करनी होगी। भुगतान लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रसीद, साथ ही एक नई अपील के लिए फाइलिंग शुल्क के भुगतान को दर्शाने वाली रसीद को लाइसेंस अपील आयोग को अपील दर्ज करने के लिए एक शर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आवेदक मामलों की अपील दर्ज करना

1. शराब के लाइसेंस के लिए आवेदन को अस्वीकार करने की अपील (निम्नलिखित में से कोई भी शामिल है: एक नए लाइसेंस के लिए एक आवेदन को अस्वीकार करना, अधिकारियों का परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, प्रबंधन / स्वामित्व में परिवर्तन या नवीनीकरण से इनकार करना) आदि व्यापार मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अस्वीकार पत्र की तिथि के बीस (20)* दिनों के अंदर लाइसेंस अपील आयोग में दर्ज किया जाना चाहिए। अगर आप आदेश के (20)* दिन के अंदर अपील दर्ज करने विफल रहते हैं तो इसके परिणामस्वरूप निर्णय के खिलाफ अपील करने की आपकी क्षमता समाप्त हो जाएगी। (कृपया ध्यान दें: शिकागो शहर के लाइसेंस अपील आयोग के कानून विभाग द्वारा जारी आधिकारिक छुट्टियों की अनुसूची का पालन करता है)।
2. व्यापार मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इनकार करने की अपील को अस्वीकार करने पर, आवेदक को लाइसेंस अपील आयोग के पास कुछ दस्तावेज दर्ज करने होंगे। ईमेल द्वारा Michelle.Guzman-Flores@cityofchicago.org पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज (फाइलिंग) को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ईमेल असंभव है, तो कृपया (312) 744-4095 पर किसी भी व्यक्तिगत दर्ज करने के लिए (फाइलिंग) कराने के लिए कॉल करें। सभी फॉर्म हमारी वेबसाइट www.cityofchicago.org/lac पर देखे जा सकते हैं

3. कृपया नीचे सूचीबद्ध सभी दस्तावेज़ (पीडीएफ प्रारूप में) Michelle Guzman-Flores के ध्यान में लाने के लिए **Michelle.Guzman-Flores@cityofchicago.org** पर भेजें।
- A) अपील की सूचना। हमारी वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध है। अपील की सूचना (नोटिस) की असली और एक हार्ड कॉपी यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जाती है, या व्यक्तिगत रूप से तीन हार्ड कॉपी दर्ज की जाती है।
- B) व्यापार मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी शराब लाइसेंस के लिए आवेदन के **अस्वीकार पत्र** की एक कॉपी दर्ज करनी होगी। अपील की सूचना (नोटिस) की असली और एक हार्ड कॉपी यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जाती है, या व्यक्तिगत रूप से तीन हार्ड कॉपी दर्ज की जाती है। कृपया ध्यान दें, हम इनकार पत्र के बिना आपकी अपील को संसाधित करने में असमर्थ हैं।
- C) **उपस्थिति प्रपत्र**। हमारी वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक या हार्ड कॉपी की जरूरत होगी।
- D) दर्ज करने की (फाइलिंग) शुल्क रसीद की एक प्रति और नवीनीकरण के लिए सभी लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क दिखाने वाली रसीद(ओं) की एक कॉपी आज तक भुगतान की जाती है। आवेदक को वित्त विभाग को \$125.00 का फाइलिंग शुल्क देना होगा। कृपया हमारी वेबसाइट से **POS चालान** (इनवॉइस) डाउनलोड करें और शिकागो भुगतान केंद्र के किसी भी स्थान पर भुगतान करें। भुगतान केंद्र स्थानों के बारे में जानकारी के लिए, कृपया www.cityofchicago.org/dof वित्त विभाग पर देखें। आपकी अपील की सूचना (नोटिस) में \$125.00 का भुगतान की जाने वाली **रसीद** को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। आवश्यक रसीद(ओं) के बिना कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक या हार्ड कॉपी की जरूरत होगी।
3. लाइसेंसधारकों को कोई भी निर्णय विधि या कानून भी शामिल करना चाहिए जिस पर लाइसेंसधारी व्यवसाय मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्णय के विपरीत तर्क करने में विश्वास करना होगा। कृपया उपरोक्त 3ए (3A) के अनुसार कॉपी की उचित संख्या दर्ज करें।
4. नवीनीकृत करने से इनकार करने के मामले में - कोई भी शराब लाइसेंसधारक जो स्थानीय शराब नियंत्रण आयोग के द्वारा दिए गए आदेश अनुसार नवीनीकृत करने से इनकार करने की अपील करता है, उसे राज्य के कानून के अनुसार अपील के लंबित रहने के दौरान अपने शराब लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करने और उसे चालू रखने की जरूरत होती है। यदि लाइसेंस

अपील आयोग पर कोई भी शराब लाइसेंसधारक दिए गए आदेश अनुसार नवीनीकृत करने से इनकार करने की अपील करता है, तो उसे प्रमाण दिखाना होगा कि आज तक सभी लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क का भुगतान किया गया है। शराब लाइसेंसधारकों को सिटी हॉल के कमरा 107 में शिकागो शहर के वित्त विभाग में अपने नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा और एक रसीद प्राप्त करनी होगी। भुगतान लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रसीद, साथ ही एक नई अपील के लिए फाइलिंग शुल्क के भुगतान को दर्शाने वाली रसीद को लाइसेंस अपील आयोग को अपील दर्ज करने के लिए एक शर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्रक्रिया

अपील दर्ज करने पर एक केस नंबर दिया जाएगा। फिर अपील को अपनी पहली न्यायालय की तिथि दी जाएगी। लगभग तीन-सप्ताह के अंतराल पर लाइसेंस अपील आयोग की बैठक डेली सेंटर (50 डब्ल्यू वाशिंगटन) के निचले स्तर पर न्यायालय के कक्ष में एलएल (LL) 02 में सुबह 11:00 बजे (या लाइसेंस अपील आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय) पर होती है, जिसे 'जनरल कॉल' के रूप में संदर्भित किया जाता है। अपील के दर्ज करने पर मामला 'जनरल कॉल' तिथियों में से एक पर निर्धारित की जाएगी। एलएसी (LAC) की वेबसाइट पर तिथियां उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों की वजह से से एलएसी (LAC) के पास न्यायालय कक्ष में लोगों की संख्या सीमित करने का अधिकार होता है। कानूनी प्रतिनिधि और समर्थक पक्षों (प्रो एसई पार्टी) द्वारा प्राथमिकता ली जाएगी।

जनरल कॉल पर, मामलों के केस नंबरों के अनुसार बुलाया जाएगा और सबसे पुराने केस नंबरों को पहले बुलाया जाएगा। सभी निगमों का प्रतिनिधित्व एक लाइसेंस प्राप्त वकील द्वारा किया जाना चाहिए। जो लाइसेंसधारक कॉर्पोरेट इकाई में अपना लाइसेंस नहीं रखते हैं, वे लाइसेंस अपील आयोग के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हालांकि, अपीलकर्ता के खुद के लाभ के लिए कानूनी परामर्श और प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की मजबूती से अनुशंसा की जाती है। व्यावसायिक मामले और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा हमारी सुनवाई का प्रतिनिधित्व उस वकील द्वारा किया जाता है जिसे सहायक निगम वकील कहा जाता है। यदि अपील करने वाले पक्ष का प्रतिनिधित्व वकील द्वारा किया जाता है, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से सामान्य कॉल के लिए उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि वे आना और निरीक्षण करना चाहते हैं तो उनका हमेशा स्वागत है। हालांकि, आपका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को आह्वान (जनरल कॉल) पर उपस्थित होना चाहिए।

जब किसी आवेदक के मामले को सामान्य कॉल पर बुलाया जाता है, तो आपसी खोज का अनुरोध किया जा सकता है और आपकी अपील के गुण-दोष के आधार पर आपका मामला सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाएगा। अच्छे कारण के लिए आयुक्तों के विवेक पर आवेदक के मामलों में निरंतरता प्रदान की जाएगी।

जुर्माने, निलंबन या निरसन के मामले की अपील के लिए, व्यापार मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सुनवाई की प्रतिलेख लाइसेंस अपील आयोग के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समय के अनुरूप जल्द से जल्द एक हार्ड कॉपी के साथ दर्ज की जानी चाहिए। यदि व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है, तो

उस समय याचिका की असली और एक हार्ड कॉपी दी जानी चाहिए। एक बार लाइसेंस अपील आयोग में अपील दर्ज हो जाने पर, लाइसेंसधारी को यह बता कर एक नोटरीकृत हलफनामा दाखिल करना होगा कि अदालत ने रिपोर्ट की है व्यापार मामलों और उपभोक्ता विभाग में कार्यवाही से प्रतिलेख संरक्षण का आदेश दिया गया है। हलफनामा (एफिडेविट) को (10)* के अंदर लाइसेंस अपील आयोग के पास दर्ज करना होगा। हलफनामा (एफिडेविट) को दाखिल करने में विफल रहने पर परिणामस्वरूप अपील खारिज कर दी जाएगी। इसके अलावा, समय के अनुरूप वास्तविक प्रतिलेख प्रदान करने में विफल रहने पर एक अपील को खारिज करने का आधार हो सकती है। केवल आयुक्तों के विवेक पर अच्छे कारण के लिए निरंतरता प्रदान की जाएगी।

सुनवाई

जुर्माने निलंबन या निरसन के मामले

जुर्माने, निलंबन या निरसन अपीलों की सुनवाई में, पक्षों द्वारा लाइसेंस अपील आयोग को पूरी तरह से नीचे दिए गए प्रतिलिपि और रिकॉर्ड और प्रासंगिक शहर कोड, कानून या केस कानून के आधार पर तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। जिस पक्ष के द्वारा अपील दर्ज की गई है वह Appellant होता है और अपील का जवाब देने वाला पक्ष Appellee होता है। Appellant के पास सारे सबूत होते हैं इसलिए वह तर्क देता है, उसके बाद Appellee और फिर Appellant द्वारा एक खंडन का संक्षिप्त विवरण किया जाता है। तर्क के बाद, लाइसेंस अपील आयोग बनाने वाले तीन आयुक्त द्वारा इस मामले पर विचार किया जाएगा। विचार-विमर्श करने के बाद, मामले का निर्णय करते हुए आयुक्त एक लिखित आदेश जारी करेंगे, जिसे अपील के पक्षकारों को डाक से भेजा जाएगा।

आवेदक के मामले

आवेदक मामलों की सुनवाई को 'नए सिरे से' (de novo) परीक्षण माना जाता है। दोनों पक्षों को गवाहों को बुलाने और विचार के लिए सबूत पेश करने का अधिकार है। एलएसी (LAC) सबूत की मात्रा और प्रकार, गवाहों की संख्या, निष्पक्षता की मौलिक धारणाओं के अनुरूप समय के साथ सबूत पेश करने और निर्णय विधि के बुनियादी नियमों के सामान्य ढांचे के अंदर सीमित कर सकता है। जिस पक्ष के द्वारा अपील दर्ज की गई है वह Appellant होता है और अपील का जवाब देने वाला पक्ष Appellee होता है। Appellee के पास सारे सबूत होते हैं और वह Appellant द्वारा अपना मामला प्रस्तुत करता है। दोनों पक्षों के सबूत देने के बाद तर्क की अनुमति दी जाती है। तर्क के बाद, तीनों आयुक्तों द्वारा मामले के तहत सलाह ली जाती है। इसके बाद, मामले को तय करने वाले एक लिखित आदेश को अपील के पक्षों को मेल द्वारा भेज दिया जाएगा।

सुनवाई, अपील

लाइसेंस अपील आयोग में हारने के बाद भी अपनी अपील जारी रखने के इच्छुक किसी भी पक्ष को लाइसेंस अपील आयोग के पास सुनवाई के लिए एक याचिका दर्ज करनी होगी। लाइसेंस अपील आयोग के आदेश की तिथि से, (20) * दिनों के अंदर सुनवाई के लिए याचिका दर्ज की जानी चाहिए। फिर से, ईमेल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को प्राथमिकता दी जाती है (एलएसी (LAC) द्वारा अनुरोध किए जाने पर एक हार्ड कॉपी दी जाती है)। यदि व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है, तो याचिका की असली और एक

हार्ड कॉपी दी जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक नोटिस और याचिका विरोधी पक्ष के प्रतिनिधि को भी भेजी जानी चाहिए (विकल्प के तरीके से, इसे मेल किया जा सकता है)। फिर से सुनवाई की अनुमति देने या इसे अस्वीकार करने का लिखित में निर्णय जारी किया जाएगा। यदि फिर से सुनवाई के लिए याचिका मंजूर हो जाती है, तो पक्षों (पार्टियों) को सुनवाई के लिए नई तारीख दी जाएगी। यदि याचिका अस्वीकार कर दी जाती है, तो लाइसेंस अपील आयोग के आदेश की अपील कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट में पैंतीस (35) दिनों के अंदर और सर्किट कोर्ट द्वारा नियमों के अनुसार की जा सकती है।

इसके बाद, मामले को तय करने वाला एक लिखित आदेश को अपील के पक्षों को मेल द्वारा भेज दिया जाएगा।

यदि आपकी अपील खारिज कर दी जाती है और आप दोबारा अपील करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

1. बर्खास्तगी आदेश को खाली क्यों किया जाना चाहिए, यह स्पष्ट करते हुए एक प्रस्ताव को दर्ज करें। अपील को खारिज करने के आदेश के तीस (30) दिनों के अंदर प्रस्ताव दर्ज किया जाना चाहिए।
2. शिकागो शहर के वित्त विभाग द्वारा एक रसीद प्रस्तुत करें जिसमें दिखाया गया है कि \$ 50.00 दर्ज करने के लिए (फाइलिंग) शुल्क का भुगतान किया गया है। POS चालान (इनवॉइस) फॉर्म अब हमारे विभाग की वेबसाइट www.cityofchicago.org/lac पर उपलब्ध है। फॉर्म डाउनलोड करें और शिकागो शहर के किसी भी भुगतान केंद्र में शुल्क का भुगतान करें।

प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकार करने का लिखित आदेश जारी किया जाएगा। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है तो, मामले को सुनवाई की नई तारीख दी जाएगी। सर्किट कोर्ट के नियमों के अनुसार एक पक्ष पैंतीस (35) दिनों के भीतर और LAC आदेश को कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट में अपील करने का चुनाव कर सकता है।

*दिन = निर्दिष्ट समय की अवधि के अनुसार। यदि नियत तिथि शनिवार, रविवार या न्यायालय की छुट्टी के दिन आती है, तो नियत तिथि अगले व्यावसायिक दिन पर होगी।

यदि कोई पक्ष लाइसेंस अपील आयोग से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो, बिना किसी झिझक हमारे कार्यालय में (312) 744-4095 पर संपर्क करें।